राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2021-22

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

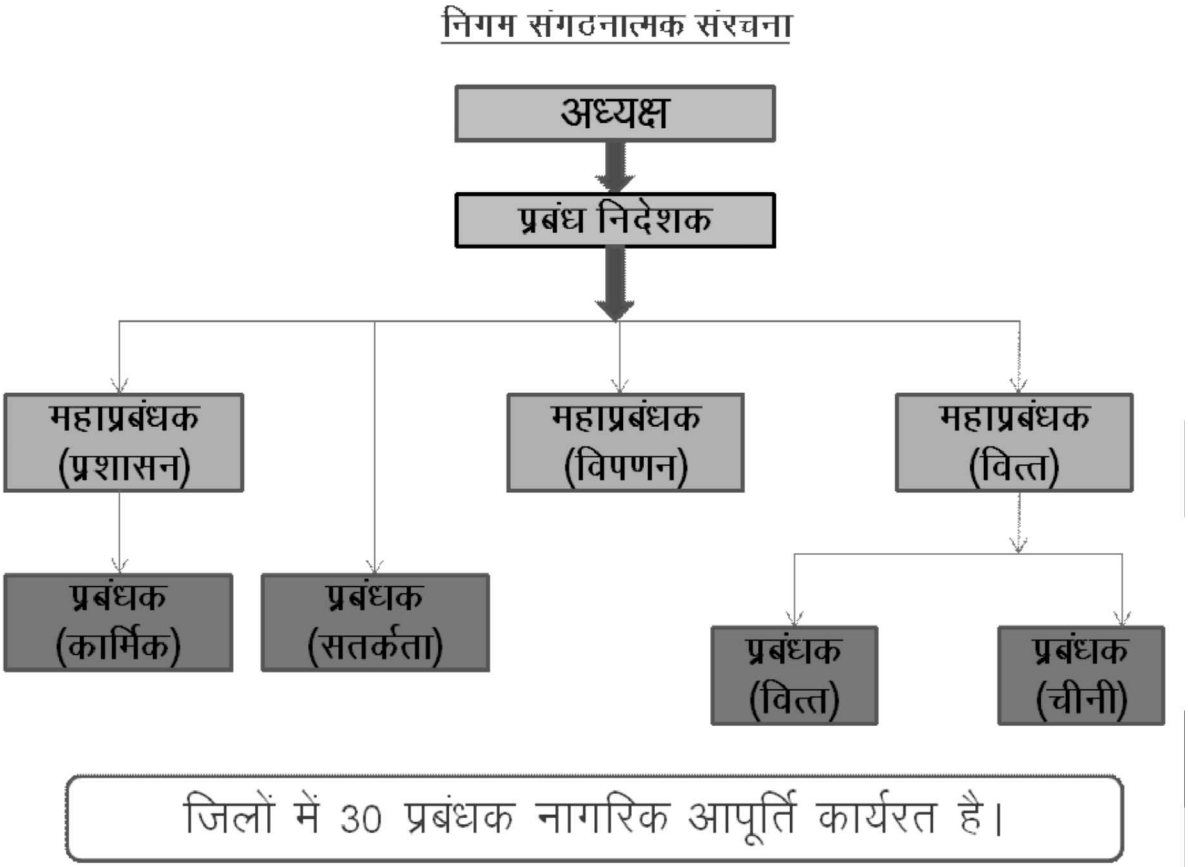

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र. सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम का आय–व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	671.45
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	656.82
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31

नोटः– वर्ष 2017–18 व अग्रिम वर्षो के अंतिम लेखे तैयार नही हुए है, अतः वर्ष 2017–18 व अग्रिम की उपरोक्त सूचनाऐ उपलब्ध नही है।

5. <u>निगम के कार्य एवं उददेश्य</u> :

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.211, 28.06.2011, 24.10. 2011, 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	51	24	27
2.	जिला कार्यालय	272	236	36
3	तहसील स्तर	498	118	380

नोटः– निगम की तहसील स्तर पर कोई भी ईकाई कार्यरत नही है। तहसील स्तर पर निरीक्षक के स्वीकृत पदो के विरूद्ध जिला स्तर पर JCO (सतर्कता निरीक्षक)निगम के गोदामो में कार्यरत है।

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आंवटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एव नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में

पदस्थापित प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रुप में किया जा रहा है। वर्तमान में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई–निविदा आमंत्रित कर परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदेश के 27 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा हैं। शेष 06 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य कराया जा रहा है।

कोविड–19 वायरस के कारण उत्पन्न आपदा की परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न एवं चना व चना दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में (अप्रेल,2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि में) लगभग 20852301.84 क्वि. गेंहूँ का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र लाभार्थियो को वितरित किया गया।
2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोविड–2की अवधि (मई,2021 से दिसम्बर,2021) में निगम के द्वारा 16711389.46 क्विं गेहूँ का उठाव किया जाकर उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से पात्र लाभार्थियो को वितरित किया गया।
3. आईसीडीएस योजनान्तर्गत माह मई,2020 से सितम्बर 2021 तक कुल 164231.255 MT चना दाल का उठाव किया जा चुका है तथा 157148.173 MT चना दाल की आपूर्ति की जा चुकी है। शेष मात्रा की आपूर्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा वर्ष 2021–22 के प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय त्रैमास हेतु गेंहूँ 54502.000 MT एवं चावल 54468.000 MT का उठाव कर आंगनबाडी केन्द्रो पर आपूर्ति की जा रही है।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी (Nodal Agency) है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है।

खाद्य विभाग राज्य सरकार के अनुसार राज्य में 683963 अन्त्योदय परिवार में निगम द्वारा चीनी का क्रय बाजार से खुली निविदा के माध्यम से किया जाता है। निगम/क्रय–विक्रय सहकारी

समितियों व उचित मुल्य दुकानों पर उपलब्ध चीनी की मात्रा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम द्वारा चीनी का क्रय नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान AAY परिवारों को चीनी का वितरण 18.00 रूपये प्रति किलोग्राम (मय वस्तु एवं सेवाकर) की दर से किया जा रहा है।

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का वार्षिक आवंटन एवं उठाव

क्र.स.	वर्ष	आंवटन	उठाव	वितरण
1	2017–18	11185.20	10816.86	2779.26
2	2018–19	11185.20	0.00	4222.60
3	2019–20	11185.20	0.00	3614.19
4	2020–21		1520.30	2631.95

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2021 तक 308.86 मै.टन चीनी का वितरण अन्त्योदय परिवारों को किया जा चुका है।

10. <u>गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य</u> :

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर का उद्देश्य राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली गुणवतापूर्ण वस्तुयें, सही वजन, किफायती एव प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जनसाधारण को उपलब्ध करवायी जाती है ।

निगम द्वारा माह सितंबर 2021 से उचित मूल्य दुकानदारो के माध्यम से राज ब्राण्ड चाय उच्च गुणवत्ता युक्त एवं किफायती दरों पर आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है। निगम द्वारा 5 विभिन्न फर्मो को चाय की आपूर्ति के आदेश दिये गये है। चाय की विक्रय दर 200/–रू० प्रति किलो है व आमजन को चाय 250 ग्राम के पैक में 50/–रू० प्रति पैक उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें डीलर का मार्जिन 20/–रू० प्रति किलो है। अब तक लगभग 59926.83 किलो राज ब्राण्ड चाय की आपूर्ति फर्मो द्वारा करवाई गई है।

निगम द्वारा राज ब्राण्ड नमक की आपूर्ति का कार्यादेश मैसर्स सांभर सॉल्ट्स लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को दिया गया है। राज ब्राण्ड नमक की विक्रय दर 10/–रू० प्रति किलो है व इसमें डीलर का मार्जिन 1/–रू० प्रति किलो है । अब तक लगभग 1,72,900/– किलो मांग निगम को प्राप्त हुई है जिसका कार्यादेश निगम द्वारा दे दिया गया है। शीघ्र ही नमक की आपूर्ति उचित मूल्य दुकानो पर करवा दी जायेगी।

उक्त योजना से आमजन को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। साथ ही उचित मूल्य दुकानदारो की आय में भी वृद्धि होगी।

11. बारदाना की खरीद एवं पोस मशीन के रखरखाव का कार्य

वर्ष 2021–22 की रबी की खरीद के लिए बारदाना खरीद करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा निगम को प्रदान किये गये थे। बारदाने की खरीद के लिए जैम पोर्टल पर निविदायें आमंत्रित की गई थी। निगम द्वारा राजफेड एवं तिलम संघ को उनकी मांग के अनुसार बारदाना उपलब्ध करवाया गया।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम को पोस मशीन के सालाना रखरखाव का कार्य भी आवंटित किया गया है। आदेशो की अनुपालना में 2 फर्मो को 26,737 पोस मशीनो के रखरखाव का कार्य 5 वर्ष के लिए दिया गया है। दोनों फर्मो द्वारा माह सितंबर 2021 से रखरखाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

12. अन्नपूर्णा भण्डार योजनाः

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक– निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य की दुकानो से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुऍ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को ''अन्नपूर्णा भण्डार योजना'' के रूप में मूर्त रूप देते हुए दिनांक 31.10.2015 को प्रथम अन्नपूर्णा भण्डार का जयपुर जिले में भम्भोरी ग्राम में शुभारम्भ किया गया। जिसके माध्यम से आम उपभोक्ताओ को मल्टीब्रांण्ड वस्तुऐ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध करवायी गयी है। वर्ष 2021–22 में उक्त योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नही की गई है।

****